उमेश कुमार बनाम रामौतार वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्र०क्र० 546/2017
1-5-18	23-7-18 12-5-18
12.05.2018	पत्रावली आज राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प कोर्ट थोई के अटल सेवा केन्द्र पर पेश हुई। वादी उमेश कुमार स्वंय उपस्थित। प्रतिवादी नम्बर 3 भी उपस्थित आये। वादी उमेश कुमार ने उपस्थित होकर वादपत्र के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅगवायें जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादी नम्बर 3 ने कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः प्रतिवादी नम्बर 3 की अनापत्ति के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी करने से पूर्व मैं प्रकरण में राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान् के हक हिस्सा व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त

Scanned by CamScanner

उमेश कुमार बनाम रामौतार वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज इ०नं० - 546/2017	नम्बर व तारीख अ जो इस हुक्म की में जारी हुये
	भूमि खसरा नम्बर 931/2 रकबा 6.7125 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर का विधिक तकास्मा बाई मीट्स एंव बाउण्ड्स पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्सा व काबिज काश्त अनुसार अलग–अलग बट्टा नम्बर डालते हुए पृथक–पृथक लगान कायम करते हुए विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है। इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हों। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवायें जाने हेतु तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.06.2018 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner